150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालयः—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

—::: परिपत्र :::—

क्रमांकः—Q-45 **भोपाल, दिनांकः—18-04-2020**

विषय :— COVID-19 कोरोना वायरस राष्ट्रव्यापी लॉक—डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :— इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक—Q-36 भोपाल, दिनॉक 14-04-2020.

****

विषयांतर्गत लॉक—डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था हेतु जारी संदर्भित परिपत्र के साथ—साथ निम्नानुसार और निर्देश भी दिये जाते हैं :—

(1) **अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल से अनुमति तत्काल प्रभाव से प्रातः 11:00 a.m. से 05:00 p.m. तक ही E-Mail I.D.:-dcourtbho@nic.in पर प्राप्त की जा सकेगी।** उक्त समयावधि से भिन्न समय पर मांगी गई अनुमति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) अनुमति हेतु संदर्भित परिपत्र द्वारा वांछित जानकारी के अतिरिक्त निम्नानुसार जानकारी दिया जाना आवश्यक होगा :—

- (a) अधिवक्ता का पूरा नाम
- (b) अधिवक्ता का बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर
- (c) अधिवक्ता के मोबाईल नंबर के साथ—साथ वैकल्पिक नंबर जिस पर Whatsapp सुविधा उपलब्ध हो।
- (d) अधिवक्ता का ई—मेल आई.डी.
- (e) यदि पक्षकार द्वारा अनुमति मांगी जाती है तो आईडेंटिटी हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पासपोर्ट की कॉपी/अधिकृत फोटो आई.डी. की कॉपी uploade करने के साथ—साथ रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर व अधिकृत ई—मेल आई.डी. का भी उल्लेख करें।

(3) यदि मामले की सुनवाई पूर्व कोर्ट फीस देय है और कोर्ट फीस नहीं दी जा रही है तो उसके कारण का भी प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया जावेगा।

न्यायालय का नियमित कार्य प्रारंभ होने के 72 घण्टे के भीतर कोर्ट फीस अदा कर दी जावेगी तथा अधिवक्ता द्वारा कोर्ट फीस अदायगी हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने हेतु स्पष्ट under taking भी दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

(4) यदि किसी आवेदन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तो स्व–प्रमाणीकरण के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा, मांगे जाने पर तदानुसार प्रमाणीकृत शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) अर्जेन्ट ड्यूटी के दौरान किसी जमानत आवेदन पर पारित आदेश की soft कॉपी अधिवक्ता/पक्षकार द्वारा दिये गये ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध करायी जावेगी व संबंधित पोर्टल (www.mphc.gov.in) पर भी uplode की जावेगी तथा इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट व जेल सुपरिंटेंडेन्ट को भी ई–मेल द्वारा सूचित किया जावेगा।

sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

क्रमांकः–Q-45 **भोपाल, दिनांकः–18-04-2020**

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना–प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7– अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

8– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

9– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

10– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

11– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।

12– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

18.4.2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

Scanned with CamScanner